



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश



लिंक रोड न0.3 पत्रकार कॉलोनी के सामने पिन कोड-462003 भोपाल

क्रमांक / एन.एच.एम. / एच.आर. / सं.नि.-एमओ / 2022 / 6438

भोपाल दिनांक: 15/09/2022

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश अंतर्गत संविदा स्नातकोत्तर चिकित्सकों/ संविदा चिकित्सकों के चयन हेतु प्रति बुधवार (कार्यदिवस) में ऑनलाइन वाक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जाता है।

दिनांक 10 अगस्त 2022 (बुधवार) को आयोजित ऑनलाइन वाक-इन-इंटरव्यू में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक हेतु चयनित चिकित्सकों को संविदा मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप संविदा आधार पर मासिक बेस वेतन 25000/- (पच्चीस हजार मात्र) रूपये के मान से ओ.पी.डी. प्रतिदिन पर 25 मरीज उपरान्त प्रति मरीज 40 रूपये के मान से अधिकतम मानदेय राशि 75,000/- (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह पर की जाती है।

निम्नानुसार कालम क्र 7 पर अंकित आवंटित मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक स्वास्थ्य संस्था पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-

SN	CATG ORY	CANDI DATE ID	MO /PGMO NAME	FATHER'S/ HUSBAND'S NAME	INSTITUTION ALLOTTED
1	2	3	4	5	7
1	MO	20533	DR. ANKUR NIGAM	MR. S. NIGAM	SANJEEVANI CLINIC MAIHAR SATNA (AS MEDICAL OFFICER) DISTRICT SATNA
2	MO	19028	DR. RATNESH KUMAR PANDEY	MR. GOVIND PRASAD PANDEY	SANJEEVANI CLINIC SHAHDOL (AS MEDICAL OFFICER) DISTRICT SHAHDOL

संविदा सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 (संशोधित) के प्रावधान के अधीन होगी।
2. संविदा पदों पर नियुक्ति, नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक (दिनांक 31 मार्च 2023) के लिए होगी।
3. आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस के अंदर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
4. निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उक्त संविदा नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।
5. प्रथम संविदा पर चिकित्सकीय जांच - नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा वैध होगी।
6. संविदा चिकित्सक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा।

(मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. द्वारा अनुमोदित)

(के.के. रावत) 14/09/2022

संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक: 15/09/2022

क्रमांक / एन.एच.एम. / एच.आर. / सं.नि.-एमओ / 2022 / 6438

1. अवर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
4. कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जिला सतना, शहडोल मध्यप्रदेश।
5. संचालक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
6. क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें संभाग- रीवा मध्यप्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सतना, शहडोल मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि, उपरोक्त चिकित्सकों का मानदेय 15 वे वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधि FMR CODE- U.2.1, ACTIVITY CODE- U.2.1.14 MEDICAL OFFICER हेतु ई वित्त सॉफ्टवेर में उपलब्ध बजट से भुगतान किया जावेगा।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सतना, शहडोल मध्यप्रदेश।
9. उपसंचालक, शहरी स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
10. सम्बंधित चयनित संविदा चिकित्सा अधिकारी की ओर भेजकर लेख है कि सर्वप्रथम आवंटित जिले के सी.एम.एच.ओ कार्यालय में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।
11. आदेश नस्ती।

संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश